20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

419

# न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू–रा / 2017 / 2673

/निगरानी/टीकमगढ़/भू०रा०/2017/2673

श्री श्री रजनी कान्त ... 17/8/17 द्वारा आज दि. 17/8/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

17/8/17

गुलाब यादव तनय श्री किशोरी यादव
निवासी–ग्राम जगतनगर, तहसील मोहनगढ,
जिला टीकमगढ, मध्यप्रदेश

——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

——— अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक निल पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मोहनगढ़, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ के रा0 प्र0क0 निल से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

निगरानी आवेदन–पत्र जानकारी दिनांक से अंदर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

## प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 61 रकवा 1.406 है0 एवं खसरा नम्बर 65 रकवा 2.000 हैक्टेयर भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1990–91 से लगभग 25 वर्षों से चला आ रहा है। वर्ष 1990–91 में आवेदक को उक्त भूमि का पट्टा दिया गया था, तभी से आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है। वर्तमान में भी आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है। सभी राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम उक्त भूमि दर्ज है इसके बाद भी उक्त भूमि को कब तथा किस

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** तीन/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2673 गुलाब विरूद्ध म.प्र.शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br><br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक निल के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br><br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br><br>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"<br><br>4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।<br><br>5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका | |

31-01-19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.01.19
सदस्य